सख्या:-63/2021/आई/73783/2021/158आ0/23-5-21-14(भवन)/2020

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 25 जून, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत शासकीय भवनों का निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-685/लेखा/बी0एम0-15/2021-22, दिनांक 08.04.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत शासकीय भवनों का निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु प्राविधानित धनराशि **रू0 14.50 करोड़ (रू0 चौदह करोड़ पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु एकमुश्त धनराशि प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

2- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-05-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु-00-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-ई-8-1360594/दस-2021, दिनांक 24.06.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:- 63/2021/आई /73783/2021/158आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन) एवं मुख्य अभियन्ता(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- अधीक्षण अभि0, लखनऊ वृत्त/दशम वृत्त/भवन सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, भवन प्रकोष्ठ खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।